न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

2022 / 184

राजस्व आवेदन न0 **113/2022**

प्रार्थीगण :–

1. पेमाराम पुत्र मोडाराम
2. बादरराम पुत्र शंकरराम
3. गोविन्दराम पुत्र शंकरराम
4. सायरोदेवी पत्नी शंकरराम जातियान दर्जी निवासीयान घडसी का बाडा, तह0 कल्याणपुर जिला बाडमेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. नारायणराम पुत्र लालूराम दर्जी
2. सिरेमल पुत्र लालूराम व सबूटीदेवी पत्नी लालूराम के कायम मुकाम :–
   2/1 गौतम पुत्र सिरेमल
   2/2. पीराराम पुत्र सिरेमल
   2/3. लक्ष्मण पुत्र सिरेमल
   2/4 पुष्पा पुत्री सिरेमल
   2/5. लीलादेवी पत्नी सिरेमल सभी जातियान दर्जी निवासीयान घडसी का बाडा तह0 कल्याणपुर जिला बाडमेर ।
   2/6. मैना पुत्री सिरेमल दर्जी पत्नी अरविंद निवासी करमावास तह0 समदडी जिला बाडमेर ।
   2/7. प्रियंका पुत्री सिरेमल पत्नी अशोक जातियान दर्जी नि0 मलवा तह0 गिडा जिला बाडमेर ।
3. प्रबंधक /मैनेजर एस बी बी जे (एस बी आई)शाख कल्याणपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कल्याणपुर।

<u>आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू0–राजस्व अधिनियम वास्ते तरमीम दुरस्ती बाबत्</u>

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपस्थित :– श्री देवीसिंह महेचा प्रार्थीगण वकील

'आदेश'

दिनांक :– 05.08.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:56:04 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य है कि [illegible] के हक पूर्वाधिकारी शंकरराम व पेमाराम पुत्र मोडाराम की [illegible] 56 अवस्थित था जिसके वर्तमान खसरा संख्या 170/56 रकबा 22 बीघा [illegible] अव्वल राजस्व गांव घडसी का वाडा पटवार क्षेत्र सरवडी भू. अभिलेख निरीक्षण [illegible] कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर में अवस्थित है तथा विप्रार्थीगण संख्या से 2/7 का खसरा संख्या 171/56 रकबा 11 बीघा किस्म बारानी अव्वल राजस्व गांव घडसी का बाडा में अवस्थित है । वादग्रस्त खसरान की भूमि में विप्रार्थीगण के हक पूर्वाधिकारी लाालूराम पुत्र रूपाजी का वादग्रस्त खसरान में नाम अंकित नहीं होने से से दावा बाबत अधिकारों की घोषणा व

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

बंटवाडा का लालूराम द्वाराशंकरराम व पेमाराम पुत्र मोडाराम के खिलाफ न्यायालय में बअनवान लालूराम बनाम शंकरराम वगैरा मूल वाद संख्या 46/1984 पेश किया गया जिसका फैसला दिनांक 26.07.1987 को किया गया जिसके जिसके आदेश की फैसला प्रति व डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र है । फैसला दिनांक 20.7.1987 के प्राथमिक डिक्री की पालना कार्यालय तहसीलदार पचपदरा के पत्रांक/ रेवेन्यू/86/576 दिनांक 28.8.1988 की प्रति व ट्रेस नक्शा मय खतौनी की प्रमाणित प्रति संलग्न पत्र है। जिसमें स्पष्ट है कि खसरा संख्या 56 में वक्त दावा की पालना में जो तरमीम मौके पर कब्जा अनुसार बंटवाडा किया जाकर की गई थी उसी के मुताबिक आज रोज के नक्शा ट्रेस मे तरमीम नहीं है, गलत रूप से तरमीम दर्ज की गई है व नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में अंकित बरंग लाल तरमीम जिसको शुद्धि/दुरूस्ती करने का निवेदन किया गया ।

प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस भिजवाये गये। विप्रार्थीगण को जारी रजिस्टर्ड रसीदे बाद तामिल के बावजूद अनुपस्थित रहने से उक्त के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी । तहसीलदार पचपदरा को दिनांक 12.05.2022 को मौका रिपोर्ट कब्जे काश्त की स्थिति स्पष्ट करने हेतु तहरीर जारी की गयी । तहसीलदार पचपदरा से पालना रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ/2022/862 दिनांक 20.06.2022 के प्राप्त हुई । उक्त रिपोर्ट में न्यायालय के वाद संख्या 46/1984 बअनवान लालुराम बनाम शंकरराम वगैरा में निर्णय से मौका का विभाजन प्रस्ताव लिया जाकर उसकी पालना में जारी अन्तिम डिक्री दिनांक 26/07/1987 के माफिक रेकर्ड में अमलदरामद किया गया । प्रार्थी व विप्रार्थीगण का मौके पर कब्जा कास्त निर्णय के नक्शानुसार है जबकि लठ्ठा ट्रेस मे तरमीम भिन्न प्रकार से की गई है । मौका रिपोर्ट में पेश नक्शा ट्रेस निर्णय व कब्जा काश्त का नक्शा परिष्ठिट (ब) अनुसार है। वर्तमान नक्शा परिशिष्ट 'अ' है ।

हमनें विद्ववान अधिवक्तागण प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई व तहसीलदार पचपदरा की मौका रिपोर्ट व पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया गया। बाद अवलोकन समूची स्थिति पर विवेचन करने के उपरान्त प्रार्थीगण के खातेदारी खेत की तरमीम न्यायालय के वाद संख्या 46/1984 बअनवान लालुराम बनाम शंकरराम वगैरा में निर्णय से मौका का विभाजन प्रस्ताव लिया जाकर उसकी पालना में जारी अन्तिम डिक्री दिनांक 26/07/1987 के माफिक रेकर्ड में माफिक रेकर्ड में अमलदरामद मौके से भिन्न जगह पर की गई जो त्रुटिपूर्ण है। तहसीलदार पचपदरा के [illegible] संलग्न नक्शा ट्रेस निर्णय व कब्जा काश्त का नक्शा परिशिष्ट (ब) अनुसार [illegible] की है। अतः प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार [illegible] नहीं होती है।

प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सरहद मौजा राजस्व गांव घडसी का वाडा पटवार क्षेत्र सरवडी भू. अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर के खेत पुराना खसरा संख्या 56 अवस्थित था जिसके वर्तमान खसरा संख्या 170/56 रकबा 22 बीघा किस्म बारानी अव्वल व खसरा संख्या 171/56 रकबा 11 बीघा किस्म बारानी अव्वल की

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Son[illegible]
Date: 2022.10.01 19:56:04 IST
Reason: SelfAttested

गयी नक्शे में त्रुटिपूर्ण अंकन को सुधार कर न्यायालय के वाद संख्या 46/1984 बअनवान लालुराम बनाम शंकरराम वगैरा में निर्णय से मौका का विभाजन प्रस्ताव लिया जाकर उसकी पालना में जारी अन्तिम डिक्री दिनांक 26/07/1987 के माफिक रेकर्ड अनुसार तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तावित नक्शा वास्तविक कब्जे काश्त अनुसार तरमीम दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते है। मौका रिपोर्ट का प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट 'ब' एवं प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट 'अ' आदेश के अभिन्न अंग होगा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
भू-अभिलेख अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 05.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भू-अभिलेख अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:56:04 IST
Reason: SelfAttested